15/10/21 — आज पत्रावली पेश हुई उमेश
पक्षकार उपस्थित आये उभयपक्षकार
की बहस अंतिम सुनी गई। वादी का वाद
स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
आ.मि. हो पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम
हो जिला रिकार्ड भण्डार हो। सुनाया गया।

[illegible] कलक्टर (का०द्वि०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
142/24	26/07/23	15/10/25

// उनवान //

1. अमरसिंह
2. ख्यालीराम
3. दुलीचन्द
4. नेतराम
5. सुबेसिंह
6. सुमेरसिंह पुत्रान श्रीराम
7. बिमला
8. संतरा
9. सांवित्री पुत्रीयान श्रीराम
10. मूला देवी पत्नि श्रीराम
11. श्रवण देवी पत्नी श्रीराम जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. प्रभू पुत्र श्री श्योसहाय जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह।

निर्णय दिनांक :– 15/10/2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 757/0.37 हैक0, 166/0.11 हैक0, 169/0.39 हैक0 187/0.62 हैक0, 236/0.19 हैक0, 239/0.18हैक0, 240/0.16 हैक0, 383/0.06 हैक0, 428/0.14 हैक0, 430/1.23 हैक0, 465/0.19 हैक0, 466/0.23 हैक0, 562/0.19 हैक0, 578/0.44 हैक0, 581/0.13 हैक0, 639/0.62 हैक0, 724/0.15 हैक0, 761/0.24 हैक0, 795/0.25 हैक0, 80/0.20 हैक0, 810/0.11 हैक0, 84/0.83 हैक0, 886/0.71 हैक0, 888/0.22 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की खानदानी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण विरासत में प्राप्त होने पर अपने पूर्वजों के फुटस पर आराजी पर काबिज होकर शांतिपूर्ण काश्त करते आ रहें है मौके पर आज भी वादीगण काबिज है एवं अपनी सुविधानुसार काश्त एवं उपभोग कर रहे है व आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप मे वादीगण के नाम का इन्द्राज जमाबंदी में हो रहा है।

3. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण को मृतक श्रीराम पुत्र बसन्ता से विरासत में प्राप्त हुई है विरासत दर्ज कर वादीगण को खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया लेकिन वादीगण के पिता व पति श्रीराम पुत्र बसन्ता की फौतगी के उपरान्त भी राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयो द्वारा लापरवाही करते हुये श्रीराम पुत्र बसन्ता को शिकमी के रूप मे दर्ज कर रखा है एवं एक व्यक्ति भोला पुत्र साधूराम जाट को राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी के रूप में दर्ज कर रखा है जबकि भोला पुत्र साधूराम नाम का कोई व्यक्ति था जो अर्सा करीब 49–50 साल पूर्व लावल्द लावारिस फौत हो गया उक्त व्यक्ति का नाम भी शिकमी के रूप में बेजा तौर पर कर रखा है एवं खसरा नम्बर 757 पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भी शिकमी का नाम दर्ज हो रहा है।

4. यह है कि आराजी मुतनाजा के खाता संख्या हाल 288 में खसरा नम्बर 236 व 239 पर शिकमी के इन्द्राजात हो रहे है लेकिन उक्त खाता संख्या 288 हाल में दीगर खसरा नम्बर के सामने भी शिकमी का अंकन हो रहा है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राजात होने से वादीगण को भारी क्षति हो रही है, आराजी मुतनाजा में किसी भी खातेदार की फौतगी पर विरासत दर्ज कराने में बैंक ऋण लेने में, विक्रय करने रिलिज करने में बाधा पहुंचती है और प्रतिवादी के कार्यालय में चक्कर लगाते रहना पडता है अभी वादीगण अमरसिंह, नेतराम आदि भाईयो ने अपनी बहनों से रिलिज करायी हुई है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी के रूप में गलत इन्द्राजात की वहज से रिलिजडीड का इंतकाल दर्ज नहीं हो रहा है जब वादीगण को जानकारी हुई कि श्रीमान तहसीलदार कार्यालय में दिनांक 12.08.2022 को रिलिज के बारे में पूछताछ करने आये तो मालूम हुआ कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता श्रीराम पुत्र बसन्ता के नाम व एक किसी अजनबी भोलू पुत्र श्री साधूराम के नाम का इन्द्राज शिकमी के रूप में हो रहा है इसके बाद प्रतिवादी से सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने की बात कही तो प्रतिवादी द्वारा दुरूस्त करने के लिए कहते रहे लेकिन अब दिनांक 17.07.2023 को प्रतिवादी ने राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात को हजफ करने से मना कर दिया इसलिए अदालत में दावा हाजा पेश करना लाजिमी आया है।

5. यह है कि अब दिनांक 17.07.2023 को मिन वादीगण प्रतिवादी से राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने मिन वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से मना कर बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

6. यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादी के खिलाफ दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस के अभाव में ही दावा दायर किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र 80(2) जाप्ता दीवानी अलग से संलग्न वाद है।

7. यह कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है, सुनने योग्य है।

8. यह है कि दावा हाजा पर दो रूप्ये कोर्ट फीस चस्पा है।

9. अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री निम्न प्रकार फरमाई जावे।

(अ) यह है कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आश्य की फरमायी जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर

यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 166 / 0.11 हैक्0, 169 / 0.39 हैक्0 187 / 0.62 हैक्0, 236 / 0.19 हैक्0, 239 / 0.18हैक्0, 240 / 0.16 हैक्0, 383 / 0.06 हैक्0, 428 / 0.14 हैक्0,

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

430/1.23 हैक्0, 465/0.19 हैक्0, 466/0.23 हैक्0, 562/0.19 हैक्0, 578/0.44 हैक्0, 581/0.13 हैक्0, 639/0.62 हैक्0, 724/0.15 हैक्0, 761/0.24 हैक्0, 795/0.25 हैक्0, 80/0.20 हैक्0, 810/0.11 हैक्0, 84/0.83 हैक्0, 886/0.71 हैक्0, 888/0.22 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में "अ.वि. व श्रीराम उपरोक्तानुसार काश्त श्रीराम 1/3 भोला पुत्र साधूराम जाट साकिन देह 2/3 शिकमी खसरा नम्बर 236 व 239 श्रीराम पुत्र बसन्ता साकिन देह शिकमी 8.5" एवं खसरा नम्बर 757 रकबा 0.37 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड से "अ.विव. व ख0 न0 757 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट 11)4 शिकमी सम्मत् 2032" के इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रखे जावें।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जोबनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद विधिवत तलबी के अनुपस्थित रहे इसलिये उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/8601 दिनांक 09.10.2025 में आराजी खसरा नम्बर 166, 169, 187, 236, 239, 240, 883, 428, 430, 465, 466, 562, 578, 581, 639, 724, 761, 795, 810, 84, 886, 888 किता 23 रकबा 7.39 हैक्0 पर अमरसिंह पुत्र श्रीराम, ख्यालीराम पुत्र श्रीराम, दुलीचन्द पुत्र श्रीराम, नेतराम पुत्र श्रीराम, बिमला पुत्री श्रीराम, मूला देवी पत्नि श्रीराम, श्रवण पत्नि श्रीराम, सन्तरा पुत्री श्रीराम, सुबेसिंह पुत्र श्रीराम, सुमेरसिंह पुत्र श्रीराम, सावत्री पुत्री श्रीराम जाति जाट सा. नंगली औझाा तथा आराजी खसरा नम्बर 757 पर अमरसिंह पुत्र श्रीराम, ख्याली पुत्र श्रीराम, दुलीचन्द पुत्र श्रीराम, नेतराम पुत्र श्रीराम, सुबेसिंह पुत्र श्रीराम, सुबेसिंह पुत्र श्रीराम, प्रभु पुत्र श्योसहाय जाति जाट साकिन नंगली औझा तथा विनित पुत्र वीरसिंह जाति जाट सा. आलनपुर तहसील कोटकासिम द्वारा मौके पर काबिज होकर काश्त कार्य किया जा रहा है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1 अमरसिंह पुत्र श्रीराम, पीडब्लयू–2 भरपाई पत्नि वीरसिंह, पीडब्लयू–3 फतेहसिंह पुत्र ख्यालीराम साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 आराजी खसरा नम्बर 757, 166, 169, 187, 236, 239, 240, 883, 428, 430, 465, 466, 562, 578, 581, 639, 724, 761, 795, 810, 84, 886, 888 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया आराजी मुतनाजा वादीगण की खानदानी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण विरासत में प्राप्त होने पर अपने पूर्वजो के फुट्स पर आराजी पर काबिज होकर शांतिपूर्ण काश्त करते आ रहें है मौके पर आज भी वादीगण काबिज है एवं अपनी सुविधानुसार काश्त एवं उपभोग कर रहे है व आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में वादीगण के नाम का इन्द्राज जमाबंदी में हो रहा है। आराजी मुतनाजा वादीगण को मृतक श्रीराम पुत्र बसन्ता से विरासत में प्राप्त हुई है विरासत दर्ज कर वादीगण को खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया लेकिन वादीगण के पिता व पति श्रीराम पुत्र बसन्ता की फौतगी के उपरान्त भी राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयो द्वारा लापरवाही करते हुये श्रीराम पुत्र बसन्ता को शिकमी के रूप में दर्ज कर रखा है एवं एक व्यक्ति भोला पुत्र साधूराम जाट को राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी के रूप में दर्ज कर रखा है जबकि भोला पुत्र साधूराम नाम का कोई व्यक्ति था जो अर्सा करीब 49–50 साल पूर्व लावल्द लावारिस फौत हो गया उक्त व्यक्ति का नाम भी शिकमी के रूप में बेजा तौर पर कर रखा है एवं खसरा नम्बर 757 पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भी शिकमी का नाम दर्ज हो रहा है। आराजी हाल खसरा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

नम्बर 166/0.11 हैक0, 169/0.39 हैक0 187/0.62 हैक0, 236/0.19 हैक0, 239/0.18हैक0, 240/0.16 हैक0, 383/0.06 हैक0, 428/0.14 हैक0, 430/1.23 हैक0, 465/0.19 हैक0, 466/0.23 हैक0, 562/0.19 हैक0, 578/0.44 हैक0, 581/0.13 हैक0, 639/0.62 हैक0, 724/0.15 हैक0, 761/0.24 हैक0, 795/0.25 हैक0, 80/0.20 हैक0, 810/0.11 हैक0, 84/0.83 हैक0, 886/0.71 हैक0, 888/0.22 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में "अ.वि. व श्रीराम उपरोक्तानुसार काश्त श्रीराम 1/3 भोला पुत्र साधूराम जाट साकिन देह 2/3 शिकमी खसरा नम्बर 236 व 239 श्रीराम पुत्र बसन्ता साकिन देह शिकमी 8.5" एवं खसरा नम्बर 757 रकबा 0.37 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड से "अ.विव. ख0न0 757 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट 11)4 शिकमी सम्मत् 2032" के इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के हिस्से तक **हाल आराजी खसरा नम्बर 166/0.11 हैक0, 169/0.39 हैक0 187/0.62 हैक0, 236/0.19 हैक0, 239/0.18हैक0, 240/0.16 हैक0, 383/0.06 हैक0, 428/0.14 हैक0, 430/1.23 हैक0, 465/0.19 हैक0, 466/0.23 हैक0, 562/0.19 हैक0, 578/0.44 हैक0, 581/0.13 हैक0, 639/0.62 हैक0, 724/0.15 हैक0, 761/0.24 हैक0, 795/0.25 हैक0, 80/0.20 हैक0, 810/0.11 हैक0, 84/0.83 हैक0, 886/0.71 हैक0, 888/0.22 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर में "अ.वि. व श्रीराम उपरोक्तानुसार काश्त श्रीराम 1/3 भोला पुत्र साधूराम जाट साकिन देह 2/3 शिकमी खसरा नम्बर 236 व 239 श्रीराम पुत्र बसन्ता साकिन देह शिकमी 8.5" एवं खसरा नम्बर 757 रकबा 0.37 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड से "अ.विव. ख0न0 757 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट 11)4 शिकमी सम्मत् 2032" इन्द्राजात को हाल राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर, मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा0टै0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
142/24	26/07/23	15/10/25

// उनवान //

1. अमरसिंह
2. ख्यालीराम
3. दुलीचन्द
4. नेतराम
5. सुबेसिंह
6. सुमेरसिंह पुत्रान श्रीराम
7. बिमला
8. संतरा
9. सावित्री पुत्रीयान श्रीराम
10. मूला देवी पत्नि श्रीराम
11. श्रवण देवी पत्नी श्रीराम जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. प्रभू पुत्र श्री श्योसहाय जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह।

–:पर्चा डिक्री:–

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के हिस्से तक हाल **आराजी खसरा नम्बर 166/0.11 हैक0, 169/0.39 हैक0 187/0.62 हैक0, 236/0.19 हैक0, 239/0.18हैक0, 240/0.16 हैक0, 383/0.06 हैक0, 428/0.14 हैक0, 430/1.23 हैक0, 465/0.19 हैक0, 466/0.23 हैक0, 562/0.19 हैक0, 578/0.44 हैक0, 581/0.13 हैक0, 639/0.62 हैक0, 724/0.15 हैक0, 761/0.24 हैक0, 795/0.25 हैक0, 80/0.20 हैक0, 810/0.11 हैक0, 84/0.83 हैक0, 886/0.71 हैक0, 888/0.22 हैक0** वाके ग्राम नंगली औझा

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

तहसील मुण्डावर जिला अलवर में 'अ.वि. व श्रीराम उपरोक्तानुसार काश्त श्रीराम 1/3 भौला पुत्र साधूराम जाट साकिन देह 2/3 शिकमी खसरा नम्बर 236 व 239 श्रीराम पुत्र बसन्ता साकिन देह शिकमी 8.5' एवं खसरा नम्बर 757 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम नंगली औड़ा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड से 'अ.विव. ख0न0 757 प्रभू पुत्र श्योसहाय जाट 11)4 शिकमी सम्वत् 2032' इन्द्राजात को हाल राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाई गयी।

(सृष्टि सैनी)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (कोर्ट)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)